भारत की पहली जिला स्तरीय ई-कोर्ट की शुरूआत

(नई दिल्ली) :- देश की पहली जिला स्तरीय ई-कोर्ट को उद्घाटन 08 फरवरी 2010 को कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर में माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। इस ई-कोर्ट में राजधानी दिल्ली के पूर्वी जिले के मामलों की सुनवाई होगी। उद्घाटन अवसर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालय के अनेक गणमान्य माननीय न्यायाधीश व दिल्ली की अधीनस्थ न्यायपालिका के अनेक न्यायाधीश उपस्थित थे।

यह ई-कोर्ट शुरूआती परियोजना (पायलट प्रोजैक्ट) के तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय की कम्प्यूटर समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगी जिसके प्रमुख माननीय न्यायमूर्ति श्री बी.डी.अहमद हैं। इस परियोजना के लिए अलग से एक प्रोजैक्ट मोनिटरिंग एंड रिव्यू कमेटी भी बनाई गई है जिसके प्रमुख माननीय न्यायमूर्ति डा. एस. मुरलीधर हैं। इस परियोजना के लिए टीआईएफएसी द्वारा धन स्वीकृति किया गया है जो विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है तथा इसे सी-डैक नोएडा द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

जैसा कि विदित है कि यह एक पायलट प्रोजैक्ट है इसलिए इसकी कामयाबी के बाद दिल्ली में और अधिक कागजरहित न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। ई-कोर्ट उन सभी न्यायालयों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी जिसमें अत्यधिक दस्तावेंज इत्यादि हैं। इस परियोजना के तहत एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की सभी फाइलों को ई-कोर्ट में स्थानांतरित करके उनका डिजिटलाइजेशन (स्क्रिन फाइल) किया गया है और सुनवाई करने वाले संबंधित न्यायाधीश के बैंच पर एक टच स्क्रिन उपलब्ध करवाई गई है। संबंधित न्यायाधीश टच स्क्रिन के माध्यम से ई-कोर्ट की किसी भी फाईल को तारीख, नाम और अधिनियम/धारा इत्यादि के अनुसार खोज कर देख सकता है। ई-कोर्ट में ऐसी व्यवस्था भी की गई है जिसके द्वारा किसी भी दस्तावेज को देखा जा सकता है और इसे एलसीडी स्क्रिन पर दिखाया भी जा सकता है। इसके उपयोग से अभियुक्त, गवाह और उनके अधिवक्ता ई-कोर्ट में या विडियो कान्फ्रैंसिंग के दौरान संबंधित दस्तावेजों को देख सकते हैं।

इसके अतिरिक्त ई-कोर्ट एक समय में चार भिन्न-भिन्न स्थानों से भी जुड़ सकती है जो जेल (जहां अभियुक्त को रखा गया है), फारैंसिक लैब (जहां विशेषज्ञ परिक्षण करते हैं), अस्पताल (जहां चिकित्सकीय परिक्षण किया जाता है) तथा इनके अतिरिक्त कोई अन्य दूर-दूराज का स्थान हो सकता है, जहां आईएसडीएन आधिकारित विडियो कॉन्फ्रैंसिंग सुविधा या इंटरनेट के साथ-साथ लैपटॉप व वैबकैम की सुविधा उपलब्ध हो।

ई-कोर्ट को एक क्रान्तिकारी परिर्वतन के रूप में देखा जा रहा है जिसके द्वारा न केवल गवाही दर्ज कराने में आसानी होगी बल्कि ई-कोर्ट उन गवाहों के ब्यान भी आसानी से दर्ज कर

सकेगी जो स्वास्थ्य कारणों से, बड़ी उम्र के कारण या विदेश में होने के कारण न्यायालय आने में सक्षम नहीं हैं।

वर्तमान समय में यह नवस्थापित ई-कोर्ट न केवल राजधानी दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों से जुड़ी हुई है बल्कि इसे जेल और उपयुक्त कार्यालय (पूर्वी) से भी जोड़ा गया है। जल्द ही इसे रोहिणी स्थित फॉरेंसिक लैब और जी.टी.बी अस्पताल, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, हैडगेवार अस्पताल से भी जोड़ा जाएगा।

जल्द ही अधिवक्ता और वकील अपने ऑफिस में बैठकर अपने किसी मुकद्में की फाइल को देख और पढ़ने में सक्षम होंगे। साथ ही निकट भविष्य में ई-फाइलिंग की सुविधा भी शुरू होने जा रही है जिसके बाद अधिवक्ता ई-फाइलिंग का लाभ उठाते हुए आवेदन पत्र, याचिकाएं इत्यादि इंटरनेट के जरिए डिजिटल फार्म के द्वारा जमा करवा सकेंगे। ई-कोर्ट में अधिवक्ता अपने लैपटॉप ला सकेंगे और इसके अतिरिक्त न्यायालय में उनके डायस पर इंटरनेट, स्क्रिन और बिजली की व्यवस्था भी की गई है। गवाही दर्ज करने के बाद उसपर संबंधित न्यायाधीश डिजिटल हस्ताक्षर करेगा और कुछ ही मिनट में उसकी प्रतियां अभियुक्त और अभियोजन को उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

इस सुविधा के साथ ही अब ई-फाइलों की प्रमाणित प्रतिलिपियां लेना भी आसान हो जाएगा और प्रतिलिपि इकाई के कर्मचारियों को न्यायालय से फाइल आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रतिलिपि इकाई के कर्मचारी गोपनीय पासवर्ड के द्वारा फाइल को खोल सकेंगे और उनकी प्रतिलिपियां लेकर डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे और कुछ ही मिनट में आवेदक को प्रमाणित प्रतिलिपियां मिल जाएंगी। केवल यही नहीं, ई-कोर्ट की शुरूआत के साथ ही अब दिल्ली से बाहर बैठे अधिवक्ता इंटरनेट पर विडियों कॉन्फ्रैंसिग के जरिए बहस कर सकेंगे और इंटरनेट के माध्यम से निर्धारित कोर्ट फीस का भुगतान करने के बाद मुकद्में के रिकार्ड की प्रतिलिपियां भी ले सकेंगे, इसके लिए एक सुरक्षित भुगतान प्रणाली भी बनाई गई है।

ई-कोर्ट प्रणाली का लाभ पुलिसकर्मियों को भी मिलेगा। इस शुरूआत के बाद अब उन्हें किसी मामलें में अपना पक्ष रखने अथवा गवाही इत्यादि देने के लिए बार-बार न्यायालय आकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे पुलिस स्टेशन में रहकर अपना दैनिक कार्य कर सकेंगे और अब भी न्यायालय को उनकी गवाही की आवश्यकता होगी उन्हें एस.एम.एस. के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा और वे अपने पुलिस स्टेशन के विडियो कॉन्फ्रैंसिंग रूम में उपस्थित होकर अपनी गावाही दे सकेंगे। इसके साथ-साथ चिकित्सकों और फॉरेंसिक लैब विशेषज्ञ भी अपनी कार्यस्थल पर रहकर ही विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के द्वारा अपनी गवाही दे सकेंगे जिससे उन्हें न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं होगी।

संक्षेप में कहें तो ई-कोर्ट प्रणाली के द्वारा कम से कम समय में मुकद्मों का फैसला हो सकेगा जिससे न केवल न्यायालयों पर बढ़ता मुकद्में का बोझ भी कम होगा बल्कि जिला न्यायालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी आयेगी। यह महज एक शुरूआत है जिसके बाद दिल्ली के विभिन्न जिला न्यायालयों में भी ई-कोर्ट शुरू की जाएंगी और इसके बाद व्यापक स्तर पर इन्हें संपूर्ण भारत में शुरू करने की योजना है।